न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 104/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1गोकुलराम पुत्र मूलाराम जाति जाट 2रामराज पुत्र गोकुलराम जाति जाट निवासीगण बडगांव तहसील व पंचायत समिति मेडता जिला नागौर		1धारूराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी बडगांव 2बुधाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी बडगांव 3ग्राम पंचायत बडगांव तहसील व पंचायत समिति मेडता।

उपस्थिति– श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 30-12-19

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा अप्रार्थी सं. 1 धारूराम व 2 बुधाराम के पक्ष में जारी विक्रय विलेख (पट्टा) सं. 15 दिनांक 11.04.1991 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 26.05.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत बडगांव के पटटा सं. 15 दिनांक 11.04.1991 व पट्टा सं. 32 दिनांक 11.08.1969 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–प्रार्थी के दक्षिण की तरफ के आम रास्ता व पडत की भूमि को हडपने के लिये अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत बडगांव के तत्कालीन सरपंच व सदस्यो से मिलकर अपने नाम से अवैध पटटा बनाने के लिये दिनांक 31.12.90 की तारीख में एक आवेदन पेश किया और उक्त आवेदन पर पोशिदा कागजी कार्यवाही करके आम रास्ते व पडत भूमि का बिना कब्जे व अधिकार के एक कागजी पटटा सं. 15 दिनांक 11.04.91 को जारी कर दिया। कथित पटटे में दर्शायी गई भूमि पर आज दिन भी अप्रार्थीगण का कब्जा नही है।

2(2)– अप्रार्थीगण के कथित आवेदन के आधार पर तत्कालीन ग्राम पंचायत के कथित तीन पंचो की एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की है जिसमे न तो तैयार करने की किसी तारीख का उल्लेख है और न ही भूमि का कोई नक्शा बनाया गया है तथा कथित निरीक्षण रिपोर्ट मे भूमि के नाप चोप व कुल क्षेत्रफल व भूमि की कीमत का भी कोई विवरण दर्ज नही किया गया है। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 257 व 258 की पालना नही की गई है। इसलिये पटटा जैर निगरानी अवैध व शून्य है।

2(3)–कथित निरीक्षण रिपोर्ट के पश्चात नियम 259 के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 व 2 के हक मे पटटा बनाने के लिये कोई प्रोविजनल प्रस्ताव भी नही लिया गया और न ही उक्त भूमि नीलामी के द्वारा विक्रय नही करने के किन्ही कारणो का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से नियम 259 की भी पालना नही की गई है तथा अपने कथन के समर्थन में RRT 2013(1) Page 350 नजीर पेश की।

2(4)–नियम 260 के अनुसार आपत्तियां आमंत्रित करने का कोई नोटिस भी विधिवत सार्वजनिक स्थान, पंचायत भवन तथा वादग्रस्त भूमि के पास मे दो मौतबिर व्यक्तियो की मौजूदगी मे चस्पा नही किया गया। नोटिस चस्पानगी की केवल मात्र कागजी खानापूर्ति की गई थी, इसलिये भी उक्त नोटिस पर प्रार्थीगण अथवा अन्य ग्रामवासी ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपतियां प्रस्तुत नही कर सके तथा अपने कथन के समर्थन में RLW 1996(3) Page 97 नजीर पेश की।

2(5)–उक्त पटटे मे उल्लेखित संकल्प सं. 6 दिनांक 3.3.91 का उल्लेख किया गया है। मगर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 6 में मिसल सं. 21/90–91 के द्वारा अप्रार्थीगण के नाम पटटा जारी करने का कोई उल्लेख नही है और न ही भूमि की कीमत का कोई उल्लेख है। इस प्रकार तत्कालीन ग्राम पंचायत बडगांव ने अप्रार्थीगण के नाम कथित पटटा जारी करने के पूर्व विधिनुसार कोई कार्यवाही नही की। इसलिये पटटा जैर निगरानी पूर्णतया अवैध व शून्य है।

2(6)–पटटा जैर निगरानी करने के पूर्व ग्राम पंचायत बडगांव ने वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा मालिकाना हक, व निवास स्थान होने के संबंध मे कोई साक्ष्य नही ली और न ही अप्रार्थीगण स्वयं वादग्रस्त भूमि

अपर कलक्टर, नागौर

पर अपना मालिकाना हक, कब्जा व निवास स्थान प्रमाणित करने के लिये साक्ष्य मे उपस्थित हुये। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया मालिकाना हक, निवास व कब्जा प्रमाणित किये बिना ही नियम 266 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति के हक मे पटटा जारी करने का कोई हक व अधिकार नही है। इसलिये भी प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

2(7)–ग्राम पंचायत बडगांव को आम रास्ते व पडत भूमि का पटटा जारी करने का अधिकार नही है। इसलिये भी पटटा जैर निगरानी अवैध व शून्य है तथा अपने कथन के समर्थन में RLW 1984 Page 528 नजीर पेश की।

2(8)–पटटा जैर निगरानी जारी करने के पूर्व ग्राम पंचायत ने नियमो की पालना नही की, इसलिये भी पटटा जैर निगरानी निरस्तनीय है।

2(9)–ग्राम पंचायत स्वयं ने अप्रार्थीगण के पटटे में जिस भूमि का उल्लेख किया है। उस स्थान पर प्रार्थी सं. 1 के नाम इससे पूर्व जारी पटटा सं. 32 दिनांक 11.8.69 मे आम रास्ता व पडत जमीन बताई है। इसलिये ग्राम पंचायत इसके पश्चात उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के कब्जे की होना मानने से विबंधित है।

2(10)–प्रार्थीगण के स्वामित्व की पटटा सुद भूमि की दक्षिण की तरफ स्थित आम रास्ता पर उसका निकाल है तथा पश्चिम की तरफ भी प्रार्थीगण की जायगा के आम रास्ते पर निकाल की भूमि का पटटा अप्रार्थीगण के नाम जारी करने से प्रार्थीगण प्रभावित व व्यथित पक्षकार है।

3– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मिसल सं. 21/1990–91 के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 धारूराम व 2 बुधाराम के पक्ष में पट्टा सं. 15 दिनांक 11.04.91 को जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी गोकुलराम को जारी पटटा सं. 32 दिनांक 11.08.69 के अनुसार उक्त पटटे के दक्षिणी तरफ आम रास्ता व पडत भूमि होना अंकित किया गया है। इसी को लेकर निगरानी मे उजर लिये गये है कि अप्रार्थीगण को जारी जैर निगरानी पटटे मे उत्तरी तरफ प्रार्थी गोकुलराम को पडोस बताया गया है जबकि इनके बीच मे रास्ता होते हुए भी उसका उल्लेख नही हुआ है। उक्त दोनो पटटो के बीच की भूमि सार्वजनिक रास्ता व पडत भूमि हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नही हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा जैर निगरानी जरिये रसीद नं. 207 दिनांक 11.04.91 के अनुसार राशि जमा होना व संकल्प सं. 6 दिनांक 3.3.91 के आधार पर पटटा जैर निगरानी जारी प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

4– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

5– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर